

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 237/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में हुड़ोली से बिनगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

1-

क) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 237/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में हुड़ोली से बिनगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु सिविल सोयम 0.764 है0 आरक्षित वन भूमि 0.270 है0 योग 1.034 है0 मक डिस्पोजल हेतु आरक्षित+सिविल सोयम भूमि 0.150+0.245 है0 सम्पूर्ण योग 1.429 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।

ख) 1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप

प्रस्ताव में संलग्न है।

ग) परियोजना की लागत

रु0 31.53 लाख

घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।

इस परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को वन क्षेत्र में स्थापित किया गया है।

ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये)

5.00 है0 से कम होने के कारण आवश्यकता नहीं है।

च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।

लगभग 9568 रोजगार दिवस उपलब्ध होंगे।

2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :

आरक्षित वनभूमि : 0.270 है0,

सिविल सोयम भूमि - 0.764 है0

मक डिस्पोजल हेतु

आरक्षित वनभूमि : 0.150 है0,

सिविल सोयम भूमि - 0.245 है0

योग - 1.429 है0

3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है

शून्य

क) परिवारों की संख्या

-

ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या

-

ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये)

-

4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं)

आवश्यकता नहीं है।

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (बचनबद्धता संलग्न की जाय)

प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण अथवा दण्ड स्वरूप लागत के साथ राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत आदि क्षेत्र में पुनः वनीकरण हेतु नियमानुसार राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा जो भी मांग की जायेगी लोक निर्माण विभाग देने हेतु वचनबद्ध है।

प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा

भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्ताव में संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान :- पुरोला

(संजय जोशी)

कनिष्ठ अभियंता

नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला

(सोनू कुमार त्यागी)

सहायक अभियंता

नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला

(सी0पी0 सिंह)

अधिशाली अभियंता

नि0ख0, लो0नि0वि0, पुरोला

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम :- मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0 237/2013 के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड पुरोला में हुडोली से बिनगदेरा मल्ला तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

I. राज्य/संघराज्यक्षेत्र

राज्य

II. जिला

उत्तरकाशी

III. जिला वन प्रभाग

उत्तर वन प्रभाग पुरोला

IV. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

1.034

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति:

अंतरिक्षित एवं सिलेबल वन

18. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:

I. वन का प्रकार

चौद वन

II. वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व

0.50

III. प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना

39

IV. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा -

मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी -

सामान्य

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :-

वन भूमि के अन्तर्गत

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :-

I. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :-

II. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्पन्नवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं

III. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं

IV. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्पन्नवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

नहीं

V. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे

नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)

नहीं

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :-

नहीं

I. क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।

हां

II. यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

I. क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

नहीं

II. यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम,

नहीं

सिविल श्रावण २०१०

हुड्डली सिविल सोयन (मेलान)

संलग्न

29 2107

733500 = 07

~~संलग्न है~~

है,

टिप्पणी-जनहित के प्रस्ताव को संसदीय न्यायाधीशों को लागू होना पड़ेगा।

शासकीय मुद्रातारीख:

Bhelkhar

प्रभागीय वनाधिकारी
टौन्स वन प्रभाग
पूरोला (उत्तराखण्ड)

प्रारूप-4

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/ नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा